रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2013/अग्रहायण 21, 1935
No. 600] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2013/AGRAHAYANA 21, 1935

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि.776(अ).—केन्द्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) अभिप्रेत है ;

(ख) "सफाई युक्ति" नियम 5 में निर्दिष्ट उपस्करों को सीमित न करते हुए जिसके अंतर्गत हाथ से या यांत्रिक रूप से प्रचालित किन्तु जहां तक,-

(i) मल नाली या मल विगलन कुंडों से सेप्टेज के परिवहन या प्रवाह को साफ करने या समर्थ बनाने के लिए, और

(ii) ऐसी मल या सामग्री के साथ सीधे हाथों के संपर्क को बचाने के लिए, उपयोग किए जा सकेंगे ;

(ग) "जिला स्तर सर्वेक्षण समिति" से निम्नलिखित संरचना के साथ नियम 11(2), नियम 11(18) और नियम 11(19) में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है :-

1. जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2. अनुसूचित जाति मामलों को व्यवहार करने वाला जिला स्तर का अधिकारी	सदस्य सचिव
3. जिला सांख्यिकीय अधिकारी	सदस्य
4. नगर विकास विभाग/स्थानीय स्वायत्त सरकार विभाग का जिला स्तर का अधिकारी	सदस्य
5. रेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के अधिकतम दो प्रतिनिधि जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे	सदस्य
7. अधिकतम दो सामुदायिक प्रतिनिधि जिसमें से एक महिला होगी जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे	सदस्य

जिला स्तर सर्वेक्षण समिति के कृत्य :

क. जिला स्तर पर सर्वेक्षण प्रक्रिया को मानीटर और सर्वेक्षण करना ।

ख. अभिहित स्थानों पर जागरूकता अभियान के लिए सामग्री वितरित करना ।

ग. सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था करना ।

घ. अपनी अधिकारिता के अधीन अभिहित स्थानों पर अनुदित सर्वेक्षण सामग्री वितरित करना ।

ङ. जिले के सभी शहर, नगरों और ग्रामों के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची को अनुमोदित करना ।

च. जिले में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम समेकित सूची का प्रकाशन ।

(च) "प्रगणक" से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण या सत्यापन के प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) "निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा "निरीक्षक" के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "ओवरसियर" से इन नियमों के अधीन शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के निर्वहन को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियोजित कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(छ) "संरक्षात्मक साधनों" से व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर और सुरक्षा युक्तियां अभिप्रेत हैं जो मल नाली और मल विगलन कुंडों की सफाई के संबंध में सफाई कर्मचारियों या सफाई कर्मकारों द्वारा पहनने के लिए या उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं जो कार्य की विशिष्ट प्रकृति को करने के लिए आवश्यक होंगे जिसके अंतर्गत नियम 4 में निर्दिष्ट सामग्री को सीमित नहीं किया गया है –

(i) पदार्थों को मानव त्वचा को संपर्क से बचाने के लिए जो किसी रोग का कारण हो सकती है जिसके साथ सभी श्वसन उपस्कर जिससे गैसों अंतःश्वसन से रोका जा सके जो रोग का कारण हो सकता है, और जिसके अंतर्गत मल नाली सो मल विगलन कुंडों के अंदर उपस्थित गैसों की पहचान के लिए कोई संवेदी उपस्कर भी हैं ;

(ii) क्षति को दूर करना जब सफाई कार्य किया जा रहा हो ।

(ज) "सफाई कर्मचारी" या "स्वच्छता कर्मकार" से घरेलू कार्य से भिन्न किसी स्वच्छता कार्य के लिए लगा हुआ या नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(झ) "सुरक्षा पूर्वावधानियां" से नियम 6 में निर्दिष्ट पूर्वावधानियों को सीमित न करते हुए किन्तु जिसके अंतर्गत मल नाली और मल विगलन कुंडों की सफाई में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा रोगों और क्षतियों के संपर्क को दूर करने को तथा व्यक्तियों के जोखिम को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी हैं जो मल नाली या मल विगलन कुंडों के भीतर और जब मल नाली या मल विगलन कुंडों में प्रवेश करने के दौरान कोई भौतिक अवस्था (ठोस, द्रव्य या गैस) में मल या कोई अन्य सामग्री के संपर्क में आते हैं ;

(ञ) "राज्य स्तर सर्वेक्षण समिति" से निम्नलिखित संरचना के साथ नियम 10(12), नियम 10(13) और नियम 11(2) में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है :-

1. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव	अध्यक्ष
2. अनुसूचित जाति मामलों को व्यवहार करने वाला प्रमुख सचिव/सचिव, यदि अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा समिति की अध्यक्षता की जा रही है । यदि प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं तो निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण	सदस्य सचिव
3. निदेशक अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय	सदस्य
4. सचिव, नगर विकास विभाग/स्थानीय स्वायत्त सरकार विभाग	सदस्य
5. प्रादेशिक निदेशक, जनगणना प्रचालन	सदस्य
6. रेल प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के अधिकतम दो प्रतिनिधि जो द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे	सदस्य
8. अधिकतम दो सामुदायिक प्रतिनिधि जिसमें से एक महिला होगी जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे	सदस्य

राज्य स्तर सर्वेक्षण समिति के कृत्य :

क. राज्य स्तर पर सर्वेक्षण प्रक्रिया को मानीटर और सर्वेक्षण करना ।

ख. अभिहित स्थानों पर जागरूकता अभियान के लिए सामग्री वितरित करना ।

ग. सर्वेक्षण के संबंध में स्थानीय समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था करना ।

घ. अपनी अधिकारिता के अधीन अभिहित स्थानों पर अनुदित सर्वेक्षण सामग्री वितरित करना ।

ङ. राज्य के सभी शहर, नगरों और ग्रामों के लिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम सूची को अनुमोदित करना।

च. राज्य में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अंतिम समेकित सूची का प्रकाशन ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

मल नाली या मल विगलन कुंडों की सफाई में नियोजित कर्मचारियों के प्रति नियोजक की बाध्यताएं

3. (1) इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को संरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा युक्तियों के बिना किसी मल नाली की हाथ से सफाई के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय :-

(क) कंक्रीट या फाप्रप्ला (फाइबर प्रवलित प्लास्टिक) या क्षतिग्रस्त मेनहोल जहां यांत्रिक उपस्कर प्रचालन में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं, को हटाने के लिए ।

(ख) तीन सौ मिलीमीटर व्यास से अधिक आकार की मल नाली की दशा में विद्यमान मुख्य मल नाली के साथ नई मुख्य डाली गई मल नाली के अंतर्संयोजन के लिए ।

(ग) चूषण कूपों के तल पर नियत सबमर्सिबल पम्प सेटों को हटाने के लिए ।

(घ) मेन होल के पुनर्निर्माण या मुख्य मल नाली के सुधार के लिए ।

(ङ) ऐसी सफाई अनुज्ञात करने के लिए विनिर्दिष्ट विधिमान्य कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् किसी परिस्थिति में जब हाथ से मलवाही की सफाई नितांत रूप से आवश्यक है ।

IndiaCode

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए मल नाली में किसी व्यक्ति के प्रवेश को अनुज्ञात करने से पहले मलवाही पूर्णतया खाली होगी ।

4. किसी मल नाली या किसी मल विगलन कुंड की सफाई में नियोजित किसी व्यक्ति को उसके नियोजक द्वारा संरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा उपस्कर, निम्नलिखित को सीमित किए बिना, उपलब्ध कराने होंगे :-

(i) ब्लोअर के लिए वायु संपीड़ित्र

(ii) वायु रेखा श्वसन उपस्कर

(iii) हस्त चालित वायु ब्लोअर के सहित वायु रेखा श्वसित्र

(iv) वायु शोधक गैस मास्क/चिन कार्ट्रिज

(v) कृत्रिम श्वसन जालिका

(vi) अवरोध चेतावनी फीता

(vii) अवरोधक क्रीम

(viii) अवरोधक शंकू

(ix) ब्लोअर

(x) श्वसन मास्क

(xi) श्वसन उपस्कर

(xii) चेतावनी पट्ट

(xiii) क्लोरीन मास्क

(xiv) आकस्मिक चिकित्सा आक्सीजन पुनर्जीवक किट

(xv) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स

(xvi) चेहरा मास्क

(xvii) गैस मानीटर (चार गैस)

(xviii) मार्गनिर्देश नद समूह

(xix) पूर्ण शरीर जलग सूट

(xx) जूतों के साथ संबद्ध मत्स्य जलग सूट

(xxi) हाथ के दस्ताने

(xxii) सिरो दीप

(xxiii) हेलमेट

(xxiv) हेलमेट विध्वंसक

(xxv) सीसा एसीटेट पत्र

(xxvi) जीवनरक्षक गद्दी

(xxvii) अनुकूलन वायुरेखा प्रदाय ठेला प्रणाली

(xxviii) सामान्य चेहरा मास्क

(xxix) नायलॉन रस्से की सीढ़ी पांच मीटर

(xxx) नायलॉन सुरक्षा पेटी

IndiaCode

(xxxi) जेबी पुस्तक

(xxxii) पोर्ट ऑक्सी

(xxxiii) बरसाती

(xxxiv) परावर्तक आवरण

(xxxv) सुरक्षा पेटी

(xxxvi) शारीरिक सुरक्षा कपड़े

(xxxvii) शारीरिक सुरक्षा सज्जा

(xxxviii) सुरक्षा चश्में

(xxxix) सुरक्षा गम बूट

(xl) सुरक्षा टोप

(xli) सुरक्षा फुआरा

(xlii) सुरक्षा टार्च

(xliii) सुरक्षा ट्राइपॉड सेट

(xliv) सुरक्षा सर्च लाइट

5. स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित सफाई की युक्तियां मलकुंड या मलविगलन कुंड की सफाई में लगे व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जाती है किंतु यह निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगी ।

(i) मल नाली स्वच्छता बकेटिंग मशीन

(ii) जेटिंग मशीन

(iii) चूषण मशीन (गूली एमटायर)

(iv) संघटित मशीन (जेटिंग सह चूषण)

(v) गहन चूषण संघटित मशीन (जेटिंग सह चूषण)

(vi) हस्त प्रचालित ग्राह बाल्टी

(vii) हाइड्रोलिक प्रचालित ट्राली आरुढ़ ग्राह बाल्टी

(viii) ट्रक आरुढ मोटर और विंच प्रचालित ग्राह बाल्टी मशीन

(ix) नियत बनावट आरुढ मोटर और विंच प्रचालित ग्राह बाल्टी मशीन

(x) तरल कूप के लिए रिक्शा आरुढ विंच और मोटर प्रचालित मशीन डिसलेंटिंग मशीन

(xi) प्रवेश छिद्र के लिए रिक्शा आरुढ विंच और सहायक इंजन प्रचालित डिसलेंटिंग मशीन

IndiaCode

(xii) एसकार्ट हाइड्राक्रेन आरुढ हाइड्रोलिक विंच प्रचालित ग्राह बाल्टी डिसलेंटिंग मशीन

(xiii) हस्तचालित छड़ें, बेलचा, फावडे, नाली साफ करने की मशीनें और हत्थों सहित इस्पात सक्रैपर्स

(xiv) होज़ और धुलाई उपकरण

6. (1) इन नियमों के अधीन सभी संरक्षात्मक गियर और सुरक्षा युक्तियों की प्रत्येक छह मास में जांच की जाएगी और नियोजक द्वारा आवश्यक मरम्मत या प्रतिस्थापन किया जाएगा जो मल नाली या मल विगलन कुंड को साफ करने के लिए किसी व्यक्ति को लगाता है ।

(2) आरामदायक शरीर के कपड़े उस कर्मकार को उपलब्ध कराया जाएगा जिसे मलनाली या मल विगलन कुंड में उनकी सफाई के लिए प्रवेश करना है । नियोजक उन कर्मकारों को पूर्ण शरीर के कपड़े उपलब्ध कराएगा जो 5 फीट से अधिक की गहराई में मेन होल में प्रवेश कर रहे हैं और अनुकल्पी रूप से भागतः फिशिंग वाडर काया पोशाक उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराएगा जो 5 फीट से कम की गहराई में मेनहोल में प्रवेश कर रहे हैं ।

(3) नियोजक मलनाली या मलविगलन कुंड की सफाई में किसी व्यक्ति के लगने से पूर्व निम्नलिखित सुरक्षा पूर्वावधानियाँ भी सुनिश्चित करेगा अर्थात् :--

(क) सभी समय न्यूनतम तीन कर्मचारी रहेंगे जिनमें से एक पर्यवेक्षक होगा ;

(ख) परिरुद्ध स्थान के भीतर वातावरण को आक्सीजन की कमी और सम्मिलित विषैली कंबस्टीबल गैसों के लिए परीक्षण किया जाएगा किंतु निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए पता लगाने के परीक्षणों के माध्यम से हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड, मेथीन और गैसोलीन वेपर जैसी विषालु गैसों तक सीमित नहीं होगी :--

(i) मेनहोल में पता लगाने वाले लैंप को नीचे करना

(ii) भीगा सीसा, एसिटेट पेपर का अंतःस्थापन जो परिसंकटमय गैसों की उपस्थिति में रंग को परिवर्तन करता है ।

(iii) गैस अन्वेषक नकाबों के माध्यम से गैसों का पता लगाना—

(ग) उपनियम (1) के अधीन स्वच्छता प्रारंभ करने से पूर्व उपनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षक ने निरीक्षण किया है और अवधारित किया है यदि निकटवर्ती कोई उद्योग मलनाली का उपयोग कर रहा है जिससे किसी परिसकंटमय वातावरण की प्रत्याशा का सामना किया जा सकता है ।

(घ) धातुदंड सीढ़ियां और मेनहोल के की पार्श्व दीवारों की दशाएं यह देखने के लिए जांची जाएगी यदि उनके ढहने का कोई खतरा है ।

(ङ) यातायात और पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए सभी समय बैरीकेड उपलब्ध किए जाते हैं ।

(च) एक फ्लैगमैन स्थल से कम से कम पचास फीट आगे तैनात होना चाहिए और कम से कम पांच सौ फीट के लिए आने वाले यातायात के लिए दृश्यमान होना चाहिए ।

(छ) मलनाली कर्मकारों की नियमित चिकित्सा जांच जिसमें श्वसन अंग, त्वचा क्षति और अन्य कृतिक रोग की जांच और क्षतियां उनके उपचार के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित होगी कि मलनाली कर्मकार जो ऐसी बीमारियों और क्षतियों से प्रभावित हैं, सफाई के लिए मलनाली में प्रवेश न करें ।

(ज) श्वसन और त्वचा रोगों और अन्य कृतिक रोगों के विरुद्ध नियमित टीकाकरण जिसके लिए इन कर्मियों का मलनाली में हानिकर पदार्थों से प्रभावित होने का खतरा बना रहता है ।

(झ) सभी कर्मचारी जो स्थल पर सफाई कार्य के दौरान उपस्थित रहते हैं, ऐसे कार्यों से सहबद्ध क्षति या रोगों से बचने के लिए सफाई कार्य में अंतर्वलित सभी उपस्करों के प्रचालन का प्रशिक्षण ज्ञान से पर्याप्त रूप से सुपरिचित हों और कार्यस्थान पर आपातस्थिति पैदा होने की दशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए सक्षम हो और प्रत्येक दो वर्ष में प्रशिक्षण संचालित किया जाएगा और कर्मचारी उपरोक्त विषय के संबंध में पद्धति और तकनीक में किन्हीं परिवर्तनों से सुपरिचित होंगे ।

(ञ) पर्यवेक्षक निकटतम अस्पतालों और चिकित्सालयों के नामों, पतों और टेलीफोन नंबरों को अपने पास और सुविधाजनक स्थिति में रखेंगे ।

IndiaCode

(ट) मलनाली या मलविगलन कुंड की सफाई, (i) केवल दिन के प्रकाश में की जाएगी (ii) किसी खंड पर 90 मिनट से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी और दो खंडों के बीच 30 मिनट का मध्यान देना आज्ञापक होगा ।

(ठ) किन्ही लाइन की पहचान करना और उसे बंद करना या पुनःमार्गी जिससे या उसके माध्यम से कार्यक्षेत्र में हानिकर पदार्थ लाये जाते हैं ।

(ड) यह सुनिश्चित करना कि प्रवेश स्थल पर लिखित प्रचालन और बचाव प्रक्रियाएं दर्शित की गई हैं ।

(ढ) यदि प्रवेश शिखर द्वार के माध्यम से किया जाता है, काम में लगने वाली हाउसिंग युक्ति जो किसी व्यक्ति को सीधे प्रास्थिति में निलंबित करती है और यांत्रिक युक्ति पांच फीट की गहराई से अधिक उर्ध्वाधर स्थान से पुनःप्राप्त कार्मिकों को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ण) किसी परिरुद्ध स्थल कार्य के दौरान कम से कम एक व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा और हृदय फुस्फुस पुनरुज्जीवन में प्रशिक्षित होना चाहिए जो तुरंत उपलब्ध हो ।

(त) मेनहोल में आक्सीजन अंतर्वस्तु सभी स्तरों पर (तल, मध्य और शिखर) में मेनहोल उपाय के परिरुद्ध स्थान में कम से कम 19.5 प्रतिशत होनी चाहिए और यदि आक्सीजन स्तर 19.5 प्रतिशत से कम है और 21 प्रतिशत से अधिक है तो कोई व्यक्ति मेनहोल में प्रवेश नहीं करे ।

(थ) दोनों तरफ कम से कम दो या तीन मेनहोलों को खोलकर के मलनाली लाइन को संवातित करना जहां कार्य का क्रियान्वित किया जाना है ।

(द) प्रचालन के प्रारंभ से पूर्व मेनहोल को कम से कम एक घंटे पहले खोला जाना चाहिए ।

(ध) किसी व्यक्ति विशेषकर बालकों को खोले गए मेनहोल को रोकने के लिए जो मलनाली में दुर्घटनावश गिर जाते हैं, रोकने के लिए समुचित रूप से बाड़ या रुकावट उचित रूप से होगी । वेलडित फैब्रिक या वायर नेट से छदम कवर का उपयोग किया जा सकेगा ।

(न) सभी कर्मी मलनाली लाइन में प्रवेश करने से पूर्व सुरक्षात्मक साधनों और सुरक्षा युक्तियों का उपयोग करेंगे ।

(प) मेनहोल या मलनाली में प्रवेश कर रहे व्यक्ति की संकेतन या कैमरा या सीसीटीवी आदि से प्रचालन अवधि के दौरान मानीटरी की जानी चाहिए ।

(फ) मेनहोल रंगदंडा या चरणों की संरचनात्मक सुरक्षा की मेनहोल में प्रवेश करने से पूर्व जांच की जानी चाहिए ।

(ब) जहां आवश्यक है सुवाह्य एल्मूनियम सीढ़ी कार्य अवधि के दौरान उपलब्ध हो और सुवाह्य सीढ़ी को प्रयोग करने के दौरान उसे समुचित रूप से बैठाया या नियत किया गया है ।

(भ) किनारे के समीप कोई सामग्री या औजार नहीं होने चाहिए जो मेनहोल में गिर सकते हैं और कर्मकार को क्षति पहुंचा सकते हैं ।

(म) मलनाली की सफाई के दौरान उपयोग किए गए उपस्कर विस्फोटक और अग्निरोधी हो ।

(य) धूमपान, खुली लपटें मेनहोल के अंदर के साथ साथ खुले मेनहोल के ठीक निकट प्रतिशिद्ध है ।

(यक) अचानक या अघोषित वातावरण में परिवर्तन की दशा में कम से कम 10 मिनट वायु प्रदाय के साथ आपात बचाव श्वसन साधित्र पहनना चाहिए ।

7. नियोजक उस समय जब व्यक्ति मलनाली या मलविगलन कुंड की सफाई में लगा है, निम्नलिखित सुरक्षा पूर्वाधानियों को सुनिश्चित करेगा ।

(i) अच्छी चलती हालत में बैटरी के साथ सुवाह्य पंखे और एयर ब्लोयर जिसमें मलनाली में व्यक्ति के प्रवेश के दौरान प्राक्कलित अवधि से अधिक अवधि की चालन क्षमता हो, संवातन के लिए मलनाली में लगाए जाएंगे और संवातन स्रोत मेनहोल के मुख में संस्थित किए जाएंगे

(ii) फ्लैश लाइट और द्विपथ रेडियो जैसी संचार युक्तियों को मलकुंड में लगाया जाएगा ।

(iii) स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर की उपस्थिति –

(क) घायल कर्मी के युक्ति चालन को सुनिश्चित करने के लिए ट्राइपॉड या साज प्रणाली या कुछ अन्य पद्धति ।

(ख) टोकरी स्ट्रेचर या उसी प्रकार की युक्ति, आपात परिवहन के लिए घायल कर्मियों को ले जाने के लिए उपलब्ध होगी ।

(ग) उपाबंध-1 में दिए गए प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर और प्रशिक्षित कार्मिक शीघ्र ही उपलब्ध होंगे ।

(iv) नियोजक एबुंलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और अधिकतम निकटता से अनुसरण करेगा ।

(v) नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि समनुदेशित व्यक्ति के पास कम से कम दस लाख रुपये की जीवन बीमा पालिसी है और जिसका प्रीमियम नियोजक द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

8. नियोजक निम्नलिखित स्वच्छता के अवधि के पश्चात् मलनाली या मलविगलन कुंड से बाहर मलनाली या विगलन कुंड की सफाई में लगे किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित पश्च स्वच्छता सुरक्षा सावधानियां सुनिश्चित करेगा :--

(i) दूषित कपड़ों को हटाने के लिए और धुलाई के साथ-साथ साफ सूखे कपड़ों सुखाने के लिए सुविधाएं देगा ।

(ii) सामग्री धोना सम्मिलित होगी किंतु यह जल, साबुन हाथ धोने वाले साबुन तक सीमित नहीं होगी और पश्च सफाई सुरक्षा के लिए शरीर पर प्रयोग किए जाने के लिए चिकित्सीय रूप से अधिप्रमाणित त्वचा क्रीम होगी ।

(iii) त्वचा पर कोई घाव/रगड़ या मलनाली की सफाई के कारण पीड़ित श्वसन अंग की समस्याओं का शीघ्र ही उपचार किया जाएगा ।

अध्याय-2

अस्वच्छ शौचालय

9. मानव विष्टा पूर्णतः अपघटित रूप में उपचारित होगी जब वह अरुचिकर गंध के बिना स्थायी सामग्री में परिवर्तित हो जाती है और मूल्यवान पादप पोषकों में अंतर्विष्ट हो जाती है ।

अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण

10 (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उसकी अधिकारिता के भीतर अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करने के लिए और उनकी सूची का प्रकाशन करने के लिए एक समुचित समय अनुसूची तैयार करेगा ।

(2) स्थानीय प्राधिकारी, उसकी अधिकारिता के अधीन अस्वच्छ शौचालयों के अस्तित्व पर सामुदायिक नेताओं और सफाई कर्मचारियों या स्वच्छता कर्मकारों के कल्याण के लिए उसके क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेगा ।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, अस्वच्छ शौचालयों के संनिर्माण, अनुरक्षण या उपयोग के संबंध में गैर सरकारी संगठनों सहित किसी व्यक्ति द्वारा पारित किसी शिकायत की शिकायत फाइल करने के 15 दिन के भीतर जांच करेगा।

(4) स्थानीय प्राधिकारी, अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन, कम से कम सफाई कर्मचारियों या स्वच्छता कर्मकारों के समुदाय से दो सदस्यों सहित जिनमें से एक महिला होगी और कम से कम एक सदस्य सिविल सोसाइटी समूहों से होगा, एक समिति का गठन करेगा ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट समिति, सर्वेक्षण की योजना बनाएगी और उसकी मानीटरी करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि किए जा रहे सर्वेक्षण के साथ-साथ एक जागरुकता अभियान चलाया जाए ।

(6) स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसकी अधिकारिता के भीतर अस्वच्छ शौचालयों की एक आरंभिक सूची तैयार करेगा और उसे स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा तथा सूची के संबंध में, उस तारीख को निर्दिष्ट करते हुए जिस तक आक्षेप, यदि कोई हों, प्राप्त किए जा सकेंगे आक्षेप आमंत्रित करते हुए दो स्थानीय समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित करेगा ।

(7) स्थानीय प्राधिकारी प्रारंभिक सूची पर प्राप्त शिकायतों और आक्षेपों की सुनवाई करने के लिए विनिर्दिष्ट समय और तारीख को एक बैठक का आयोजन कारित करेगा और अस्वच्छ शौचालयों की अंतिम सूची का अनुमोदन करेगा ।

(8) अस्वच्छ शौचालयों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जो स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर उन्हें प्रदर्शित करेगा तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों जिसमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा, में प्रकाशित करेगा ।

(9) स्थानीय प्राधिकारी अस्वच्छ शौचालयों की सूची के अंतिम प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर अस्वच्छ शौचालय के अधिभोगी को ऐसे अस्वच्छ शौचालय को अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ध्वस्त करने या उसे स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करने की सूचना की तामील करेगा ।

IndiaCode

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट ऐसी सूचना की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जाएगी ।

(11) उपनियम (9) में निर्दिष्ट सूचना में, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की स्कीमों के संबंध में जो फायदाग्राहियों को अस्वच्छ शौचालयों को ध्वस्त करने या उन्हें स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहन का हकदार बनाती हैं और उन स्कीमों के अधीन फायदा उठाने के लिए पात्रता के संबंध में तथा ऐसा फायदा उठाने की प्रक्रिया के संबंध में, जानकारी शामिल होगी ।

(12) उपनियम (4) में निर्दिष्ट समिति जिला मजिस्ट्रेट को एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा पदाभिहित कोई विभाग उसकी अधिकारिता के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारियों की समेकित रिपोर्टों को राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति को प्रस्तुत करेगा ।

(13) राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अस्वच्छ शौचालयों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने की स्कीमों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत करेगी ।

(14) केन्द्रीय या राज्य सरकार की सुसंगत स्कीमों के अधीन पात्र फायदाग्राही ऐसी स्कीमों के अधीन अनुज्ञेय वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(15) उपनियम (9) के अधीन अवधि के अवसान के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी अस्वच्छ शौचालय के परिसर का निरीक्षण करेगा।

(16) यदि अधिभोगी ने न तो अस्वच्छ शौचालय को ध्वस्त किया है न ही उसे स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किया है तो स्थानीय प्राधिकारी उसको ध्वस्त करने के लिए आदेश करेगा तथा अधिभोगी से लागत को भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करेगा।

अध्याय 3

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण

11 (1) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण करने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से और यथोचित रूप से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस विधि और रीति पर प्रशिक्षित किया गया है जिसमें सर्वेक्षण संचालित किया जाएगा और उन्हें हाथ से मैला उठाने के विषय पर सुग्राही बनाया गया है ।

(2) राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति और जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति विभिन्न स्तरों पर विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण के दौरान अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं पर्याप्त अभियान चलाएंगी ।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए सामुदायिक नेताओं या सफाई कर्मचारियों या स्वच्छता कर्मकारों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी सहबद्ध करेगा ।

(4) स्थानीय प्राधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को स्वयं की घोषणा करने वाले केन्द्रों पर स्वयं की घोषणा करने के लिए जागरुकता अभियानों के माध्यम से आमंत्रित करेगा और अवधि के दौरान उन स्थानों पर जिनको स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा उनके ब्यौरों को सत्यापित करेगा ।

(5) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की सूचियां यदि गैर सरकार संगठनों या अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए पूर्णतया सत्यापित किया जाएगा ।

(6) अस्वच्छ शौचालयों या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की संख्या के डाटा के बीच किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा बताए गए अंतर की दशा में , स्थानीय प्राधिकारी, प्रगणकों द्वारा उन अस्वच्छ शौचालयों में सेवा कर रहे हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नामों को जानने के लिए द्वार से द्वार सर्वेक्षण करने का आदेश करेगा

(7) स्थानीय प्राधिकारी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने के लिए सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मकारों या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पर्यावासों का भी भ्रमण करेगा ।

(8) इस प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित ओवरसियरों द्वारा प्रगणकों द्वारा किए गए कार्य की नीचे उपदर्शित परिमाण तक यादृच्छिक चयन के आधार पर नमूनों की जांच की जाएगी: -

(i) ग्रामों में शत प्रतिशत जांच ।

(ii) शहरों और नगरों में जहां अस्वच्छ शौचालयों सहित 1000 से कम गृहस्थ हैं शत प्रतिशत जांच ।

(iii) उन नगरों या शहरों में जिनमें 1000 से 9999 गृहस्थ अस्वच्छ शौचालयों सहित हैं प्रत्येक प्रगणक द्वारा सत्यापित घोषणाओं का 50 प्रतिशत ।

(iv) उन नगरों या शहरों में जिनमें 10000 गृहस्थ या अधिक गृहस्थ अरवच्छ शौचालयों सहित हैं प्रत्येक प्रगणक द्वारा सत्यापित घोषणाओं का 33 प्रतिशत ।

(v) प्रवर्ग (iii) और प्रवर्ग (iv) में, यदि प्रगणक द्वारा किए गए कार्य के नमूनों की जांच में > 10% त्रुटि का पता चलता है, तो पर्यवेक्षक द्वारा उसके कार्य की शत प्रतिशत जांच की जाएगी ।

(9) इस अधिनियम के अनुसरण में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की अनंतिम सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति की दशा में अनंतिम प्रकाशन से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, वह संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में आक्षेप फाइल कर करेगा ।

(10) स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण के दौरान उक्त सूची के प्रकाशन की रीति को भी अधिसूचित करेगा ।

(11) स्थानीय प्राधिकारी आक्षेपों की जांच कारित करवाएगा और उसकी अधिकारिता में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बैठक, यदि आवश्यक हो तो, करेगा ।

(12) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम सूची के प्रकाशन के पश्चात् सूची पर किसी दावे या आक्षेप को सूची में जोड़ने या हटाने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा परंतु हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी स्वयं के विषय में उसका हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी होने की घोषणा करने का हकदार होगा ।

(13) जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी से अन्यून अधिकारी को प्राप्त दावों और आक्षेपों की जांच करने के लिए और पदाभिहित पदाधिकारी द्वारा की गई जांच पर निष्कर्ष देने के लिए पदाभिहित करेगा तथा पदाभिहित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि -

(i) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को सुने जाने का पर्याप्त अवसर दिया गया है ;

(ii) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को उपनियम (15) में यथाउपबंधित अनुसार त्वरित सुनवाई की 7 दिन से अन्यून सूचना दी गई है ;

(iii) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को उपनियम (4) में यथाउपबंधित अनुसार उसके दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iv) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को किसी वकील, गैर सरकारी संगठन या मित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा ; और

(v) दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता को उपनियम (20) में यथाबंधित अनुसार पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति दी जाएगी ।

(14) इन नियमों के अधीन दावे और आक्षेप पारित करने के लिए प्ररूपों को आवेदकों को निर्दिष्ट स्थान पर मांग करने पर बिना किसी प्रभार के और स्थानीय प्राधिकारी की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा तथा दावाकर्ता या आक्षेपकर्ता अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, दे सकेगा ।

(15) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदाभिहित अधिकारियों द्वारा त्वरित सुनवाईयां की जाएंगी ।

(16) दावों का सत्यापन करने के लिए पदाभिहित अधिकारी यदि अपेक्षित हो तो नए सत्यापन का आदेश कर सकेगा ।

(17) त्वरित सुनवाई और सत्यापन, (यदि आदेश किया गया है) के पश्चात्, अधिकारी यथास्थिति, दावे या आक्षेप को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए समुचित आदेश पारित करेगा और आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी ।

(18) पदाभिहित पदाधिकारी द्वारा दावों और आक्षेपों का निपटान करने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी प्रारूप सूची में अपेक्षित संशोधन करेगा और उन्हें जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति को उसके विचारार्थ संप्रेषित करेगा ।

(19) जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, शहर से प्राप्त हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की सूचियों को संकलित करवाएगी और ऐसे जिले के लिए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की सूची तैयार करेगी जिसे जिला कलक्टर राज्य सरकार को भेजेगा ।

(20) राज्य सरकार विभिन्न जिलों से प्राप्त हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की सूचियां रखेगी, संकलित करेगी, और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की समेकित राज्य सूची तैयार करेगी ।

IndiaCode

(21) हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रुप में कार्यरत कोई भी कर्मी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात् किसी भी समय विहित प्ररुप में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रुप में पहचान किए जाने के लिए स्वयं घोषित कर सकेगा और स्थानीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को आवेदन कर सकेगा । आवेदन का रुपविधान उपाबंध-2 पर दिया गया है ।

(22) हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी की पहचान के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी के रुप में पहचान किए जाने के लिए जाति या धर्म या आय या लिंग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

(23) उप नियम (22) के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी के रुप में लगाया जाना चाहिए था या नियोजित किया जाना चाहिए था और उनसे कम से कम तीन मास तक निरंतर उस रुप में कार्य किया हो ।

(24) ओवरसियरों द्वारा यथा सत्यापित पहचान किए गए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की अनंतिम सूची स्थानीय समाचार पत्रों में संबद्ध स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जाएगी और उसके अपने ही कार्यालय में और ऐसे अन्य स्थानों पर, जो समुचित समझे जाएं, प्रदर्शित की जाएगी ।

(25) अनंतिम सूची की एक प्रति स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों या सफाई कर्मियों या सफाई कर्मियों के सामुदायिक नेता को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(26) अंनतिम सूची प्रकाशित करते समय, स्थानीय प्राधिकरण जनता के सदस्यों से यह अपेक्षा करेगा कि वे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित में कम से कम 15 दिन की अवधि के भीतर सूची के विरुद्ध दावे और आक्षेप फाइल करें ।

(27) जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति द्वारा अंनतिम सूची के अनुमोदन के पश्चात्, उसे संबद्ध कार्यालयों के सूचना पटों पर सम्यकतः प्रकाशित किया जाएगा और अन्तिम सूची जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।

12. पहचान किए गए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी, प्रत्येक कुटुम्ब से एक कर्मी, पहचान करने के ठीक बाद में 40,000 रुपए की नकद सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा । फायदाग्राही को अधिकतम 7,000 रुपए की मासिक किस्तों में रकम प्रत्याहत के लिए अनुज्ञात होगा ।

अध्याय - 4

निरीक्षक की शक्तियां

13. यदि किसी निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, जो अधिनियम की धारा 5 या धारा 6 की उपधारा (2) या धारा 7 के अधीन परिभाषित है, होता है या उसके होने की संभावना है, तो वह उसका निरीक्षण, अन्वेषण करेगा या उसकी जांच कराएगा ।

(1) यदि अपराध किसी अरवच्छ शौचालय के संनिर्माण, रखरखाव या उसके उपयोग से संबंधित है तो निरीक्षक स्थानीय प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट करेगा जो इसके पश्चात अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा ।

(2) यदि अपराध हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन से संबंधित है तो निरीक्षक स्थानीय प्राधिकरण को और साथ ही जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा ।

(3) स्थानीय प्राधिकरण हाथ से मैला ढोने वाले ऐसे कर्मी का नाम सम्मिलित करने के लिए कदम उठाएगा जो, चाहे सर्वेक्षण के दौरान या उसके पश्चात किसी भी समय, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की अन्तिम सूची में नियोजित पाया जाए और जब हाथ से मैला ढोने वाले किसी कर्मी का नाम अन्तिम सूची में जोड़ दिया जाता है तब मैला ढोने वाले कर्मियों को अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुनर्वासित किया जाएगा ।

(4) यदि निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि मलनाली या मल विगलन कुंड की परिसंकटमय सफाई को अपनाया जा रहा है, तो निरीक्षक ऐसी परिसंकटमय सफाई तुरंत रोकने के लिए आदेश करेगा और मामले को स्थानीय प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा ।

(5) निरीक्षक अपनी अधिकारिता के भीतर किसी संरचना, स्थल, स्थान या परिसर की परीक्षा उस समय कर सकेगा जब यह विश्वास करने के लिए कारण है कि ऐसा परिसर का मलनाली या मल विगलन कुंड की परिसंकटमय सफाई के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाने वाला है ।

(6) निरीक्षक किसी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य उसी जगह या अन्यथा ले सकेगा जिसे वह अरवास्थ्यकर शौचालय या मलनाली या मल विगलन कुंड से संसक्त किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे परंतु ऐसे व्यक्ति

को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए या उस ऐसे किसी साक्ष्य, जो अपराध में फंसाने की प्रवृति रखता हो, देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा ।

(7) निरीक्षक ऐसा कोई फोटोग्राफ, विडियो क्लिप, नमूना, रिकार्ड प्राप्त कर सकेगा या प्राप्त करवा सकेगा या किसी ऐसी युक्ति, जिसमें इलेक्ट्रानिक युक्ति भी है, का प्रयोग करके कोई स्कैच बना सकेगा या बनवा सकेगा जो वह इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा या जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

(8) यह देखने पर कि कोई स्थानीय प्राधिकरण, व्यक्ति या अभिकरण परिसंकटमय सफाई में किसी व्यक्ति को लगा रहा है या नियोजित कर रहा है, तो निरीक्षक ऐसे प्राधिकरण, व्यक्ति या अभिकरण को निदेश देगा कि वह ऐसे सफाई के कार्य को तुरंत रोक दे और इस संबंध में इन नियमों के उपाबंध-3 के रुप में उपाबद्ध प्ररुप में लिखित सूचना तामील करेगा ।

अध्याय 5

राज्य निगरानी समिति

14. (1) राज्य निगरानी समिति ऐसी तारीख और ऐसे समय पर, छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएं ।

(2) बैठक सामान्यतः राज्य मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी ।

(3) जहां समिति किसी ऐसे अन्य स्थान पर बैठक आयोजित करना आवश्यक समझती है वहां उन कारणों को जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी बैठकें अन्य स्थानों पर राज्य के भीतर आयोजित की जा सकेंगी ।

(4) सदस्य सचिव, समिति के सभी सदस्यों को न्यूनतम दस दिन की सूचना जारी करवाएगा और बैठक के दौरान विचार किए जाने वाली कार्य सूची भी भेजेगा ।

(5) ऐसे किसी कार्य पर, जो कार्य सूची में सम्मिलित नहीं है, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जाएगा ।

(6) अध्यक्ष, उस प्रत्येक बैठक की, जिसमें वह उपस्थित रहता है, अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चयन कर सकते हैं ।

(7) किसी बैठक में कोई कारबार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों ।

परंतु यदि, किसी बैठक में, एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हैं तो अध्यक्ष, उपस्थित सदस्यों को सूचित करते हुए और अन्य सदस्यों को रजिस्ट्रीकृत सूचना भेजकर, बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन की तारीख तक बैठक को आस्थगित कर सकेगा ।

(8) आस्थगित बैठक में कारबार गणपूर्ति को ध्यान में लाए बिना निपटाया जाएगा ।

(9) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां उपस्थित सभी सदस्यों को परिचालित की जाएंगी और पढ़कर सुनाई जाएंगी तथा समिति की अगामी बैठक में पुष्टि की जाएंगी और उन्हें अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(10) कार्यवृत्त पुस्तिका में कार्यवृत्त अभिलिखित किए जाएंगे जो स्थायी अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे ।

(11) कार्यवृत्त की एक प्रति केंद्रीय निगरानी समिति को सूचनार्थ देते हुए केंद्रीय सरकार को पृष्ठांकित की जाएगी ।

[फा. सं. 19014/55/2013-एससीडी-IV]

मौलश्री पांडे, निदेशक

उपाबंध-1
(नियम 7 देखिए)

प्राथमिक उपचार सुविधा

1. 150 कर्मचारियों के लिए कम से कम एक प्राथमिक उपचार पेटी प्रत्येक कार्यस्थल पर, उपलब्ध कराई जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा जिससे यह कार्य घंटों के दौरान सहजतः पहुंच योग्य हो सके, ।

(क) प्राथमिक उपचार पेटी सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रास से सुभिन्नतः चिह्नित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित उपस्कर होंगे, अर्थात् :-

(ख) ऐसे कार्यस्थलों के लिए, जिनमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक नहीं है, प्रत्येक उपचार पेटी में निम्नलिखित उपस्कर होंगे :-

1. 6 लघु विसंक्रमित मरहम पट्टियां
2. 3 मध्य आकार वाली विसंक्रमित मरहम पट्टियां
3. 3 विस्तृत आकार वाली विसंक्रमित मरहम पट्टियां
4. 3 विस्तृत आकार वाली बर्न मरहम पट्टियां
5. 1 (30 मि.लि.) बोतल जिसमें दो प्रतिशत एल्कोहलिक विलेयन आयोडीन हो
6. (30 मि.लि.) सेलवोलाटाइल से युक्त बोतल जिसमें लेबल पर खुराक और उसे देने का ढंग उपदर्शित हो
7. 1 सर्पदंश नश्तर
8. 1 (30 मि.ग्रा.) पोटेशियम परमनगेनेट क्रिस्टल की बोतल
9. 1 कैंची
10. महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम उपचार पत्रक की एक प्रति
11. 1 बोतल जिसमें एस्प्रिन की 100 गोलियां (प्रत्येक 5 मि.ग्रा.) हों
12. जले पर लगाने का मरहम
13. उपयुक्त शल्यक रोगाणुरोधक विलेयन की एक बोतल ।

ख. कार्यस्थल, जिसमें कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है, के प्रत्येक प्राथमिक सहायता बॉक्स में निम्नलिखित उपस्कर होंगे :-

1. 12 जीवाणुहीन छोटी मरहम-पट्टियां ।
2. 6 मध्यम आकार की जीवाणुहीन मरहम-पट्टियां ।
3. 6 बड़ी आकार की जीवाणुहीन मरहम-पट्टियां ।
4. 6 बड़ी आकार की जीवाणुहीन नितंब-पट्टियां ।
5. 6 पैकेट (आई.एस.जी.एम.एस.) जीवाणुहीन रूई ऊन ।
6. 1 बोतल (60 मि0ली0), जिसमें दो प्रतिशत एल्कोहल विलयन आयोडिन हो ।
7. 1 बोतल (60 मि0ली0), जिसमें साल्वोलाइट हो, जिसके लेबल पर प्रयोग की मात्रा और रीति उपदर्शित हो ।
8. चिपकने वाले प्लाटर का एक रोल ।
9. 1 सांप के दंश का नश्तर ।
10. पोटेशियम परमैगनेट क्रिस्टल की एक बोतल (30 मि0ली0) ।
11. 1 कैंची ।
12. कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम संस्थान, महानिदेशक/भारत सरकार द्वारा जारी प्राथमिक सहायता पुस्तिका की एक प्रति ।
13. एस्प्रिन की 100 गोलियों (5 ग्राम प्रत्येक) की एक बोतल ।
14. जले पर लगाने का मरहम ।
15. उपयुक्त शल्य चिकित्सा रोगाणुरोधक विलयन की एक बोतल ।

(क) उपस्करों को तुरंत प्राप्त करने के लिए, जब आवश्यक हों, पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होगी ।

(ख) प्राथमिक चिकित्सा पेटी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में रखा जाएगा, जो कार्यस्थल के कार्य घंटों के दौरान आसानी से उपलब्ध हो ।

(ग) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें कर्मचारियों की संख्या 150 या अधिक है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी का भारसाधक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जो प्राथमिक सहायता उपचार में प्रशिक्षित हो ।

(घ) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या 500 या अधिक है और चिकित्सा सुविधाएं कार्यस्थल से उचित दूरी पर उपलब्ध नहीं है, प्राथमिक सहायता पोस्ट की स्थापना की जाएगी और प्रशिक्षित कम्पाउंडर द्वारा संचालित किया जाएगा और जब कर्मकार कार्य पर हो तो वह ड्यूटी पर रहेगा तथा सभी समय उपलब्ध रहेगा ।

(ङ) जहां कार्यस्थल ऐसे स्थान में स्थित है, जो शहरों या नगरों नहीं है, जख्मी व्यक्ति या अचानक बीमार हुए व्यक्ति को निकटतम अस्पताल ले जाने के लिए एक उपयुक्त मोटर वाहन सहज रूप से उपलब्ध रखा जाएगा ।

(च) प्राथमिक चिकित्सा पेटी में उपर्युक्त पैरा क और पैरा ख में यथा वर्णित से भिन्न कोई अन्य उपस्कर या पदार्थ नहीं रखा जाएगा ।

IndiaCode

उपाबंध 2

{नियम 11(2) देखिए}

स्व घोषणा प्ररूप

हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों की पहचान

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

- **राज्य का नाम :**
- **जिला :**
- **नगरपालिका :** **नगर** **वार्ड :**
- **पंचायत** **गांव**

हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति का फोटो

हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति के परिवार का फोटो

(पोस्टकार्ड आकार का फोटोचित्र 6" X 4")

IndiaCode

1. हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति का नाम :
2. पिता/माता/पति या पत्नी का नाम :
3. आयु :
4. लिंग : पुरूष ☐ स्त्री ☐
5. शैक्षिक प्रास्थिति : (उपयुक्त बाक्स में √ का चिह्न लगाए)

 (i) क) शिक्षित ☐ ख) अशिक्षित ☐

 (ii) यदि शिक्षित है तो, शिक्षा का स्तर :–

 (क) प्राप्त शिक्षा कक्षा 1- 5 : ☐ कक्षा 6- 10 : ☐ कक्षा 11 - 12 : ☐

 कक्षा 12 से अधिक : ☐
6. **व्यवसाय :**

(i) अस्वच्छ शौचघर से मानव मल-मूत्र को ले जाना/निपटान/सफाई ☐

(ii) बिना उपचारित मानव मल-मूत्र की सफाई : (क) खुले नाले से ☐

(ख) रेलवे ट्रेक से ☐ (ग) शौच गड्ढ़ाघर से ☐

7. **नियोजन की प्रास्थिति :--**

I. नियोजित :

(क) निजी :--

(i) व्यक्तिगत कुटुंब ☐ (ii) समुदाय/कुटुंब का समूह ☐

(iii) संविदाकार ☐ (iv) अस्पताल, कार्यालय, आदि जैसे संस्थान ☐

(v) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ख) केंद्रीय सरकार ☐ (ग) राज्य सरकार ☐

(घ) नगर निगम ☐ ☐

II. नियोजन :

(क) स्थायी आधार पर ☐ (ख) अस्थायी आधार पर ☐

(ग) संविदा के आधार पर ☐ (घ) जजमानी ☐

8. आप इस व्यवसाय में कितने समय से हैं :

9. सामाजिक पृष्ठभूमि :

(क) क्या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अन्य से हैं ☐

(ख) जाति ☐ (ग) उप जाति ☐

(घ) धर्म ☐

10. (क) क्या आपने सरकार की पुनर्वास स्कीमों से कोई फायदा प्राप्त किया है

(उपयुक्त बाक्स में √ का चिह्न लगाए)

हां	नहीं

ख) यदि हां, तो स्कीम का नाम (उचित बॉक्स में √ का चिह्न अंकित करें):

	स्कीमों के नाम	रुपये
(1)	मैला उठाने वाले कर्मियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्कीम (एनएसएलआरएस)	
(2)	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस)	
(3)	कोई अन्य स्कीम (स्कीमों) का नाम विनिर्दिष्ट करें	

ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्कीम के माध्यम से वित्तपोषित परियोजना चल रही है :

हां	नहीं	यदि हां, तो मासिक आय (रु0)

घ) ज्ञात नहीं

IndiaCode

11. (क) क्या आप मैला उठाने से भिन्न किसी उपजीविका में लगे हुए हैं ? : हां..... नहीं.....

(ख) यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें :

12. कोई अन्य कौशल जो रखते हों :

i) संनिर्माण ii) बढ़ईगीरी

iii) वाहन चालन iv) भोजन बनाना

v) कपड़े सिलना..... vi) (विनिर्दिष्ट करें)

13. प्रस्तावित वैकल्पिक उपजीविका (कृपया विनिर्दिष्ट करें):

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति का नाम और पता.....

.....

पिनकोड.....

संपर्क दूरभाष/मोबाइल सं0.....

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम और तारीख :

प्रगणक के हस्ताक्षर.....

नाम और तारीख (कोड सं0 के साथ):.....

डाटा एंट्री आपरेटर के हस्ताक्षर.....

नाम और तारीख (कोड सं0 के साथ) :

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर.....

नाम और तारीख (कोड सं0 के साथ) :

IndiaCode

अस्वच्छ शौचालय के ब्यौरे

1. व्यष्टिक अस्वच्छ शौचालय (आईआईएल) के ब्यौरे :

क्रम सं0	अस्वच्छ शौचालय के स्वामी का नाम	निम्न की अवस्थिति		हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का मासिक वेतन/मजदूरी (रु0)	
		शुष्क शौचालय	शौचालय जिससे मल खुले नाले में बहाया जा रहा है	नकद में	अनाज आदि के रूप में

हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति द्वारा साफ किए जा रहे व्यष्टिक अस्वच्छ शौचालयों की कुल संख्या :

(टिप्पण : कृपया हाथ से मैला उठाने में लगे हुए व्यक्ति द्वारा साफ किए जा रहे व्यष्टिक अस्वच्छ शौचालयों के विस्तृत वर्णन दें । यदि आपको अतिरिक्त जानकारी लिखने की आवश्यक्ता हो तो कृपया इस पृष्ठ की छायाप्रति करें और सर्वेक्षण प्ररूप के साथ संलग्न करें)

2. सामुदायिक अस्वच्छ शौचालयों (सीआईएल) के ब्यौरे :

क्रम सं0	सामुदायिक अस्वच्छ शौचालय के स्वामी (संगठन/अभिकरण) का नाम	निम्न की अवस्थिति		हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का मासिक वेतन/मजदूरी (रु0)	
		शुष्क शौचालय	शौचालय जिससे मल खुले नाले में बहाया जा रहा है	नकद में	अनाज आदि के रूप में

3. खुले नालों (ओडी)/रेल मार्गों/अन्य स्थानों का ब्यौरा :

क्रम सं0	खुले नालों/रेल मार्गों/अन्य स्थानों की अवस्थिति जिनमें अस्वच्छ शौचालयों से मल बहाया जा रहा है ।	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी का मासिक वेतन/मजदूरी	
		नकद में (रु0)	वस्तु के रूप में (रु0)

(टिप्पण : यदि खुले नाले में हाथ से मैला उठाने में लगे हुए कर्मियों की संख्या एक से अधिक हो तो हाथ से मैला उठाने में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक प्ररूप भरें)

उपाबंध-3
(नियम 13(8) देखिए)

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 20 के अधीन निरीक्षक का कार्यालय.....(क्षेत्र का नाम)

सूचना

{हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 की धारा 13(8) के अधीन}

संदर्भ..... तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

विषय : हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसमें इसके पश्चात् अधिनियम) और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 (इसमें इसके पश्चात् नियम) के अधीन सूचना : मलनालियों और मल विगलन कुंडो की परिसंकटमय सफाई ।

अधिनियम की धारा 7 उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के बाद की नहीं होगी, किसी व्यक्ति को, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी मलनाली या किसी मल विगलन कुंड की परिसंकटमय सफाई के लिए न तो लगाएगा और न ही नियोजित करेगा ;

5207 GI/13-3

IndiaCode

और(राज्य का नाम) सरकार ने अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के प्रवर्तन की तारीख के रूप में..... (प्रभावी होने की तारीख) अधिसूचित की है ;

और मल नालियों तथा मल विगलन कुंडों की सफाई का विनियमन नियमों के नियम 3 से के उपबंधों के अधीन है ;

और आपको उक्त अधिनियम की धारा 2(1) (घ) के साथ पठित धारा 7 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियम.....(नियम संख्या) का अतिक्रमण करने की सूचना निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार दी गई है :--

(i) अतिक्रमण का स्थान.....

(ii) अतिक्रमण की तारीख

(iii) अतिक्रमण के ब्यौरे

.....

.....

.....

2. आपसे यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जाती है कि क्यों न अधिनियम की धारा के अधीन आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए । आपसे(तारीख) तक लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने याको पर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है ।

3. आपके आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असफल रहने या आप अथवा आपके प्रतिनिधि के विनिर्दिष्ट दिन और समय पर उपस्थित होने में असफल रहने की दशा में, यह समझा जाएगा की आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना है तथा अधोहस्ताक्षरी अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

निरीक्षक का नाम और पदनाम

तारीख.....

स्थान

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2013

G.S.R. 776(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 36 read with clause (a) of Sub-Section (1) of Section 37 of the Prohibition of Employment As Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely : —

CHAPTER-1

GENERAL

1. **Short title and commencement:-**

(1) These rules may be called the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013);

(b) "Cleaning device" - includes but not limited to the equipments referred to in rule 5, whether manually or mechanically propelled which can be used to :–

(i) clean or enable the transport **or** flow of sewage in sewers or septage from septic tanks, and

(ii) avoid direct manual contact with such sewage or material.

(c) "District Level Survey Committee" means the Committee referred to in rule 11 (2), 11 (18) and 11 (19), with the following composition:-

1.	District Magistrate	Chairman
2.	District Level Officer dealing with Scheduled Castes Affairs	Member Secretary
3.	District Statistical Officer	Member
4.	District level officer of Urban Development Department/Local Self Government Department	Member
5.	One representative of railway authority	Member
6.	Upto two representatives of Non Government Organisations working for Welfare of manual scavengers and Safai Karamcharis to be nominated by the District Magistrate	Member
7.	Upto two community representatives of whom one should be a woman to be nominated by the District Magistrate	Member

Functions of the District Level Survey Committee:

a. to monitor and oversee the survey process at District level.

b. to distribute the materials for awareness campaign to designated place.

c. to arrange publicity through local newspapers etc. about the survey.

d. to distribute translated survey material to designated place under its jurisdiction.

e. to approve final list of manual scavengers for all towns, cities and villages in the district.

f. Publication of final consolidated list of the manual scavengers in the district.

(d) "enumerator" means any person engaged by a local authority for the purpose of survey or verification of manual scavengers.

(e) "inspector" means a person appointed as "inspector" by the appropriate Government as per the provisions of sub section (1) of section 20 of the Act.

(f) "Overseer" means an officer engaged by a local authority to exercise the powers and perform the duties under these rules.

(g) "Protective gear" means personal safety gear and safety devices that are to be provided, worn or used by safai karamcharis or sanitary workers in respect of cleaning of sewers and septic tanks that may be necessary for the specific nature of work to be carried out, as including and not limited to the materials referred to in Rule 4 to -

(i) avoid any exposure of human skin to substances which can lead to diseases, along with all breathing equipment which prevents inhalation of gases which can lead to diseases, and, also includes any sensory equipment for detection of gases present inside the sewers or septic tanks;

(ii) avoid any injuries while carrying out cleaning work.

(h) "Safai Karamchari" or "Sanitation Worker" means any person engaged in or employed for any sanitation work, other than domestic work;

(i) "safety precautions" - shall include, but not be limited to, the precautions referred to in rule 6, and are all steps necessary to reduce the risk to the person and to avoid contraction of diseases and injuries by the persons engaged in cleaning of sewers and septic tanks due to exposure to sewage or any other

IndiaCode

material in any physical state (solid, liquid or gas) inside the sewers or septic tanks and while entering sewers or septic tanks.

(j) " State Level Survey Committee" means the Committee referred to in rules 10(12), 10 (13) and 11 (2) with the following composition:-

1.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary, nominated by the State Government	Chairman
2.	Principal Secretary/Secretary dealing with Scheduled Castes, if the Committee is chaired by Additional Chief Secretary. If Principal Secretary, Scheduled Caste Welfare himself is the Chairman then Director, Scheduled Castes Welfare.	Member Secretary
3.	Director, Economics and Statistics	Member
4.	Secretary, Urban Development Department/Local Self Government Department	Member
5.	Regional Director, Census Operations.	Member
6.	One representative of railway authority	Member
7.	Upto two representatives of Non Government Organisations working for Welfare of Manual Scavengers and Safai Karamcharis to be nominated by the State Government	Member
8.	Upto two community representatives of whom one should be a woman to be nominated by the State Government	Member

Functions of the State Level Survey Committee:

a. to monitor and oversee the survey process at state level.

b. to distribute the materials for awareness campaign to designated place.

c. to arrange publicity through local newspapers etc. about the survey.

d. to distribute translated survey material to designated place under its jurisdiction.

e. to approve final list of manual scavengers for all towns, cities and villages in the state.

f. Publication of final consolidated list of the manual scavengers in the state.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but, defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

CHAPTER –II

OBLIGATIONS OF EMPLOYER TOWARDS EMPLOYEES ENGAGED IN THE CLEANING OF SEWER OR SEPTIC TANK

3. (1) No person shall be allowed to clean a sewer manually, with the protective gear and safety devices under these rules except:-

(a) for the removal of concrete or FRP(Fibre Reinforced Plastic) or damaged manhole door where mechanical equipments cannot be put into operation.

(b) for inter-linking the newly laid sewer main with the existing sewer main, in case of sewer of size of more than 300 mm diameter.

(c) for removal of submersible pump sets fixed at the bottom of the suction wells.

(d) for the reconstruction of the manhole or rectification of the sewer main.

(e) Any circumstance, when it is absolutely necessary to have manual sewage cleaning, after the CEO of the local authority has permitted to do so after recording in writing the specific valid reasons for allowing such cleaning.

(2) For the purposes of clauses (c) and (d) of sub-rule (1), before allowing entry of a person in the sewer, sewage shall be totally emptied.

4. Any person engaged to clean a sewer or a septic tank shall be provided by his employer, protective gear and safety devices including, but not limited to the following:-

(i) Air compressor for blower

IndiaCode

(ii) Air line breathing apparatus
(iii) Air line respirator with manually operated air blower
(iv) Air Purifier Gas mask/chin cortege
(v) Artificial respiration/Reticulate
(vi) Barrier caution tape
(vii) Barrier cream
(viii) Barrier cone
(ix) Blower
(x) Breath mask
(xi) Breathing Apparatus
(xii) Caution board
(xiii) Chlorine mask
(xiv) Emergency medical oxygen resuscitator Kit
(xv) First Aid Box
(xvi) Face Mask
(xvii) Gas Monitor (4 gases)
(xviii) Guide Pipe Set
(xix) Full body wader suit
(xx) Fishing wader suit attached with boots
(xxi) Hand gloves
(xxii) Head Lamp
(xxiii) Helmet
(xxiv) Helmet demolishing
(xxv) Lead acetate paper
(xxvi) Life guard pad
(xxvii) Modular Airlines Supply Trolley System
(xxviii) Normal face mask
(xxix) Nylon rope ladder 5 metres
(xxx) Nylon safety belt
(xxxi) Pocket book
(xxxii) Port oxy
(xxxiii) Raincoat
(xxxiv) Reflecting Jacket
(xxxv) Safety belt
(xxxvi) Safety body clothing
(xxxvii) Safety body harness
(xxxviii) Safety goggles
(xxxix) Safety Gumboots
(xl) Safety helmet
(xli) Safety showers
(xlii) Safety torch
(xliii) Safety Tripod Set
(xliv) Search light

5. The local authority shall ensure that the following cleaning devices are used by persons engaged in cleaning sewer or septic tank including but not limited to the following :

(i) Sewer Line Cleaning Bucketing Machine

(ii) Jetting Machine

IndiaCode

(iii) Suction Machine (Gulley Emptier)

(iv) Combined Machine (Jetting cum Suction)

(v) Deep Suction Combined Machine (Jetting cum Suction Machine)

(vi) Manual Hand Operated Grab Bucket

(vii) Hydraulic Operated Trolley Mounted Grab Bucket

(viii) Truck Mounted Motor & Winch Operated Grab Bucket Machine

(ix) Fixed Structure Mounted Motor & Winch Operated Grab Bucket Machine

(x) Rickshaw Mounted Winch & Motor Operated Desilting Machine for Wet well

(xi) Rickshaw Mounted Winch &Auxilliary Engine Operated Desilting Machine for Manhole

(xii) Escort Hydra Crane Mounted Hydraulic Winch Operated Grab Bucket Desilting Machine

(xiii) Manual rods, shovels, spades, drainage cleaning machines and steel scrapers with handles

(xiv) Hoses and washing instruments

6 (1) All protective gear and safety devices under these rules shall be checked every six months and necessary repair or replacements shall be made by the employer who engages a person for cleaning a sewer or a septic tank.

(2) Comfortable bodysuits shall be made available to the worker who has to enter sewers or septic tanks for their cleaning. The employer shall provide full body suits to workers entering manholes of depth more than five feet and alternatively, partial fishing wader body suits to those entering manholes of depth less than five feet.

(3) The employer shall also ensure the following safety precautions before a person is engaged in the cleaning of a sewer or a septic tank, namely:-

(a) There shall be a minimum of three employees present all the time, one of whom shall be a supervisor;

(b) The atmosphere within the confined space shall be tested for oxygen deficiency and toxic and combustible gases including but not limited to poisonous gases like Hydrogen Sulphide, Carbon Monoxide, Methane, and gasoline vapours, through detection tests including the following: -

(i) lowering a detector lamp into the manhole,

(ii) inserting wet lead acetate paper which changes colour in the presence of hazardous gases,

(iii) detection of gases through gas detector masks.

(c) Before starting the cleaning under sub-rule (1) the supervisor referred to in clause (a) of sub-rule (3) has inspected and determined if the sewer serves any industries nearby to anticipate any hazardous atmosphere that may be encountered.

(d) The condition of metal-rung ladders and the side walls of the manhole shall be checked to see if there is any danger of collapse.

(e) Traffic and pedestrian barricades are provided all the times.

(f) A flag man should be stationed at least 50 feet ahead of a site and should be visible to incoming traffic for at least 500 feet.

(g) Regular medical check-up of sewage workers which shall include the examination of respiratory organs, skin injuries, and other occupational diseases and injuries for their treatment to ensure that sewage workers afflicted with such diseases or injuries do not enter sewers for cleaning.

(h) Regular vaccination against respiratory and skin diseases and other occupational diseases to which these workers are prone due to exposure to harmful substances and gases in sewers.

(i) All employees who are present on-site during cleaning work are given training and adequately familiarised with the knowledge to operate all equipments involved in cleaning work, to avoid injuries or diseases associated with such work and to take necessary steps in case of emergency arising at the place of work and the training shall be conducted every two years and the employees shall be familiarised with any changes in method and technique with respect to the above.

(j) The supervisor possesses and keeps handy the names, addresses and telephone numbers of the nearest hospitals or clinics.

(k) Cleaning of a sewer or a septic tank shall be done:-

(i) only in day-light; and

(ii) for a duration not exceeding 90 minutes, at a stretch. There shall be a mandatory interval of 30 minutes between two stretches.

(l) Identify and close off or reroute any lines that might carry harmful substances to, or through, the work area.

(m) Ensure that written operating and rescue procedures are displayed at the entry site.

(n) If the entry is made through a top opening, use a housing device with a harness that suspends a person in an upright position and a mechanical device shall be available to retrieve personnel from vertical spaces more than five feet deep.

(o) At least one person trained in first aid and cardiopulmonary resuscitation should be immediately available during any confined space job.

(p) Oxygen content in the manhole must be at least 19.5% in the confined space of the manhole measures at all levels (bottom, middle and top) and no person enters the manhole if oxygen level is below 19.5% and more than 21%.

(q) Ventilate the sewer line by opening at least two or three manholes on both sides where work is to be carried out.

(r) Manhole shall be opened at least one hour before the start of operation.

(s) The opened manhole shall be properly fenced or barricaded to prevent any person, specially children, from accidentally falling into the sewer. Dummy cover with welded fabric or wire-net may be used.

(t) All workers use the safety gear and safety devices before entering the sewer line.

(u) The person entering the manhole or sewer line must be monitored using signal or camera or CCTV etc., throughout the operation period.

(v) Structural safety of manhole rungs or steps must be tested before entering the manhole.

(w) Portable aluminium ladder is available during the work period where necessary and the portable ladder is properly seated or fixed during use.

(x) No material or tools are located near the edge which can fall into the manhole and injure the workman.

(y) Equipments used during sewer cleaning are explosion and fire-proof.

(z) Smoking, open flames are prohibited inside the manhole as well as in the immediate vicinity of open manholes.

(za) In the event of a sudden or unpredictable atmospheric change, an emergency escape breathing apparatus with atleast a 10 minute air supply is worn.

7. The employer shall ensure the following safety precautions at the time when the **person** is engaged in the cleaning of a sewer or a septic tank:-

(i) Portable fans and air blowers with batteries, in good working condition with a back up capacity of more than the estimated duration of the entry of the person in the sewer, shall be carried into sewers for ventilation and a ventilation source shall be installed at the mouth of the man hole.

(ii) Flashlights and communication devices such as two-way radios shall be carried into sewers.

(iii) Presence of the following rescue equipment at the site: -

(a) A tripod and harness system, or some other method ensuring manoeuvring of an injured worker to the surface.

(b) A basket stretcher, or similar device, shall be available for moving the injured worker to emergency transportation.

(c) First aid equipment as given in Annexure-I, and trained personnel shall be immediately available.

(iv) the employer shall ensure availability of ambulance and follow-up in close proximity.

(v) The employer shall ensure that the assigned person has life insurance policy of at least ten lakh rupees and the premium for which shall be paid by the employer.

8. The employer shall ensure the following post-cleaning safety precautions after an person engaged in the cleaning of a sewer or a septic tank comes out of the sewer or septic tank after a session of cleaning:-

(i) Provide facilities for removal of contaminated clothing and for wash-up as well as cleaning, dry clothing.

(ii) Wash-up material shall include but not be limited to water, soaps, hand sanitizers and adequate and medically authenticated skin cream for applying on the body for post cleaning safety.

(iii) Any cuts/bruises on the skin or problems with a respiratory organ suffered on account of cleaning of sewer shall be immediately cured.

CHAPTER-II

INSANITARY LATRINES

9 Human excreta shall be treated as fully decomposed when it eventually becomes stable material with no unpleasant smell and containing valuable plant nutrients.

SURVEY OF INSANITARY LATRINES

10 (1) Every local authority shall draw a suitable time schedule for carrying out survey of insanitary latrines within its jurisdiction and the publication of their list.

(2) The local authority shall take the assistance of the community leaders and non Governmental organizations working in the area for the welfare of the Safai Karamcharis or sanitary workers, on the existence of insanitary latrines in the area under its jurisdiction.

(3) Any complaint filed by any person including a non Governmental organization, regarding the construction, maintenance or use of insanitary latrine, shall be inquired by the local authority within fifteen days of filing the complaint.

(4) The local authority shall constitute a Committee under its Chief Executive Officer with at least two members from the community of Safai Karamcharis or sanitary workers, one of whom shall be a woman and at least one member from the civil society groups.

(5) The Committee referred to in sub-rule (4) shall plan and monitor the survey, and ensure that an awareness campaign is carried out simultaneously with the survey that is conducted.

(6) The Chief Executive Officer of the local authority shall prepare an initial list of insanitary latrines existing in his jurisdiction and display the same at the notice board of the office of the local authority and publish in two local daily newspapers, inviting the objections, specifying the date by which the objections, if any, to the list, shall be received.

(7) The local authority shall cause to hold a meeting on the due date as specified to hear the complaints and objections received on the initial list and approve the final list of insanitary latrines.

(8) The final list of insanitary latrines shall be prepared and published by the local authority which shall display the same at the notice board of office of the local authority and publish in two local newspapers, one of which shall be in the vernacular language.

(9) The local authority, within fifteen days of final publication of list of insanitary latrines, shall serve a notice on the occupier of the insanitary latrine to either demolish such insanitary latrine or convert it into a sanitary latrine within a period of six months from the date of commencement of the Act.

(10) A copy of such notice referred to in sub-rule (9) shall be sent to the inspector.

(11) The notice referred to in sub-rule (9) shall include information regarding the schemes of the Central and State Government which entitle the beneficiaries to incentives for the demolition of insanitary latrines or conversion to sanitary latrines; and other information regarding the eligibility to avail the benefits under those Schemes and the procedure for availing such benefits.

(12) The Committee referred to in sub-rule (4) shall submit the survey report to the District Magistrate, who, or any department designated by him for this purpose, in turn, shall submit the consolidated reports of all local authorities under his jurisdiction to State Level Survey Committee.

(13) State Level Survey Committee shall furnish the report of the survey to the Central Ministry/Department dealing with the Schemes of conversion of insanitary latrines into sanitary latrines for the urban and rural areas.

(14) The eligible beneficiaries under the relevant Schemes of the Central or State Government may apply for the admissible financial assistance under such schemes.

(15) After the expiry of the period under sub-Rule (9), the local authority shall have the premises of the occupier of insanitary latrine inspected.

(16) If the occupier has neither demolished nor converted the insanitary latrine into a sanitary latrine, the local authority shall order for its demolition and recover the cost from the occupier as arrears of land revenue.

CHAPTER-III

SURVEY OF MANUAL SCAVENGERS

11. (1) The local authority shall ensure that the persons conducting the survey of manual scavengers shall be adequately and appropriately trained by the local authority on the method and manner in which the survey shall be conducted and sensitized on the issue of manual scavenging.

(2) The State Level Survey Committee and the District Level Survey Committee shall carry out adequate campaigns at various levels especially in all such areas where insanitary latrines have been found during the survey of insanitary latrines.

(3) The local authority shall also associate community leaders or non governmental organizations working for the welfare of Safai Karamcharis or sanitary workers in identification of manual scavengers.

(4) The local authority shall invite manual scavengers through awareness campaigns to declare themselves at the self declaration centres and have their details verified during a period and at places, which shall be notified by the local authority.

(5) The lists of manual scavengers, if provided by the non governmental organisations or any other persons or agency, shall be fully verified to identify manual scavengers.

(6) In case, there is discrepancy between the data of insanitary latrines or the number of manual scavengers thrown up by any person or organisation, the local authority shall order a house-to-house survey of insanitary latrines by the enumerators to know the names of manual scavengers servicing those insanitary latrines.

(7) Local authority shall also make efforts to identify manual scavengers by visiting the habitations of concentration of safai karamcharis, sanitary workers or manual scavengers.

(8) Sample checks of the work done by the enumerators would be carried out by overseers designated for the purpose by the local authority, on the basis of random selection to the extent indicated below:-

(i) 100% check in villages.

(ii) 100% check in cities and towns having less than 1000 households with insanitary latrines.

(iii) 50% of the declarations, verified by each enumerator, shall be checked in towns or cities having 1000 to 9999 households with insanitary latrines.

(iv) 33% of the declarations, verified by each enumerator, shall be checked in towns/cities having 10000 or more households with insanitary latrines.

(v) in categories (iii) and (iv) , if sample check of the work done by any enumerator reveals an error of >10%, a 100% check of his work shall be carried out by the supervisor.

(9) Any person having objection either to the inclusion or exclusion of any name in the provisional list of manual scavengers in pursuance of Act, may within a period of fifteen days from the provisional publication, file an objection in the prescribed format specified by the concerned local authority.

(10) The local authorities shall also notify the manner of publication of said list during the survey of manual scavengers carried out under the Act.

(11) The local authority shall get the objections enquired into and hold a meeting, if necessary to finalise the list of manual scavengers in its jurisdiction.

(12) After publication of the final list by the local authority no claim or objection on the list shall be accepted for being included or excluded in the list, provided that the manual scavenger shall be entitled to give self-declaration about his being a manual scavenger.

(13) The District Magistrate shall notify a designated officer not below the Tehlisdar or Block Development Officer for inquiring into claims and objections received and giving their findings and the inquiry conducted by the designated authority shall ensure that –

(i) the claimant or objector is given adequate opportunity to be heard;

(ii) the claimant or objector is given not less than seven days' notice about the date of summary hearing as provided under sub-rule (15);

(iii) the claimant or objector shall be allowed to support his claim with documentary evidence, if any, as provided under sub-rule(14);

IndiaCode

(iv) the claimant or objector shall have the right to be represented by a lawyer, Non Governmental Organization, or a friend; and

(v) the claimant or objector shall be given a copy of the order passed by the designated authority as provided under sub-rule(20).

(14) Forms for filing claims and objections under these rules shall be made available to the applicants free of charge on demand at the designated place, as also through the website of the local authority and the claimant or objector may support his claim with documentary evidence, if any.

(15) Summary hearings shall be conducted by officers designated by the local authority.

(16) The officer designated to verify the claims may order fresh verification, if necessary.

(17) After summary hearing and such further verification (if ordered), the officer would pass an appropriate order, accepting or rejecting the claim or objection, as the case may be and a copy of the order would be given to the persons concerned.

(18) After settlement of claims and objections by the designated authority, the local authority shall carry out necessary corrections in the draft list and transmit it to the District Level Survey Committee for its consideration.

(19) The District Level Survey Committee shall cause compilation of lists of manual scavengers received from each local authority, town and prepare a list of manual scavengers for the district which the District Collector will forward to the State - Government.

(20) The State Government shall have the lists of manual scavengers received from various districts, compiled and prepare a consolidated State list of manual scavengers.

(21) Any person working as a manual scavenger, may self declare either during the survey undertaken by the local authority, or any time thereafter, apply to the Chief Executive Officer of the local authority, or to any other officer authorised by him in this behalf, for being identified as a manual scavenger in the prescribed Proforma. Format of the application is given at Annexure-II.

(22) There shall be no minimum age limit for identification of manual scavenger, and there shall be no restriction regarding the caste or religion or income or gender for being identified as manual scavenger.

(23) For the purposes of sub-rule (22), a person should have been engaged or employed as manual scavenger at the commencement of the Act or thereafter and should have worked as such continuously for not less than three months.

(24) A provisional list of identified manual scavengers as verified by the Overseers, shall be published by the concerned local authority in local newspapers and displayed in its own office and at such other places as deemed appropriate.

(25) A copy of the provisional list shall be made available to members of the local authority and the non Governmental organizations or community leader of Safai Karamcharis or sanitary workers.

(26) While publishing the provisional list, the local authority shall call upon members of the public to file claims and objections vis-à-vis, the list, within a period, not less than 15 days, in a proforma notified by the local authority.

(27) After the approval of the final list by the District Level Survey Committee, it shall be duly published at the notice boards of concerned offices and the final list shall also be uploaded on the website of the District administration and the State Government.

12. The identified manual scavengers, one from each family, shall be eligible for receiving cash assistance of Rs.40,000 immediately after identification. The beneficiary shall be allowed to withdraw the amount in monthly instalments of maximum of Rs.7,000.

CHAPTER- IV
POWERS OF THE INSPECTOR

13. If an inspector has reason to believe that an offence under the Act as defined under sections 5, sub-Section (2) of Section 6 or 7 of the Act has, or is, or is likely to take place, he shall conduct inspection, investigation or enquiry.

(1) If the offence pertains to the construction, maintenance or use of an insanitary latrine, the inspector shall report to the local authority, which shall thereafter take action as per the provisions of the Act.

(2) If the offence pertains to the employment of manual scavengers, the inspector shall send a report to the local authority as well as the District Magistrate.

(3) The local authority shall take steps to include the name of a manual scavenger found to be employed in the final list of manual scavengers, whether during survey or any time thereafter, and once the name of a manual scavenger is added to the final list, the manual scavengers shall be rehabilitated under the provisions of the Act.

(4) If it appears to the inspector that hazardous cleaning of sewer or septic tanks is being resorted to, the inspector shall order to stop such hazardous cleaning forthwith and shall report the matter to the local authority.

(5) The inspector may examine any structure, site, place or premises within his jurisdiction, when there are reasons to believe that any such premises is being used or has been used or about to be used for hazardous cleaning of sewer or septic tank.

(6) The inspector may take on the spot or otherwise such evidence of any person which he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry connected with insanitary latrines or hazardous cleaning of sewer or septic tank.

Provided that such person shall not be compelled to answer any question or give any such evidence tending to incriminate him.

(7) The inspector may take or caused to be taken any photograph, video clip, sample, record or make any sketch by using any device including electronic device as he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry under these rules.

(8) On finding that a local authority, person or agency is engaging in or employing a person in hazardous cleaning, the inspector shall instruct such authority, person or agency to stop such undertaking of cleaning immediately and shall serve a notice in writing in this regard in Form annexed as annexure-III to these rules.

CHAPTER – V
STATE MONITORING COMMITTEE

14 (1) The State Monitoring Committee shall meet atleast once in six months on such dates and times as may be appointed by the Chairperson.

(2) The meeting shall normally be held at the State headquarters.

(3) Where the Committee finds it necessary to hold the meeting at any other place, for the reasons to be recorded in writing, such meetings may be held at other places, within the State.

(4) Member-Secretary shall cause a notice of minimum ten days issued to all the members of the Committee and also send the list of business to be considered during the meeting.

(5) No business, which is not included in the list of business, shall be considered, without the permission of the Chairperson.

(6) The Chairperson shall preside over each meeting at which he is present, and in his absence, members may elect the senior-most member present to be Chairperson to preside over the meeting.

(7) No business shall be transacted at a meeting unless atleast one third of the total members of the Committee are present:
Provided that if at any meeting, less than one third of the members are present, the Chairman may adjourn the meeting to a date not less than seven days from the date of the meeting, informing the members present and sending registered notice to the other members.

(8) Business at the adjourned meeting shall be disposed irrespective of the quoram.

(9) The proceedings of each meeting shall be circulated to all members present and shall be read out and confirmed at the next meeting of the Committee, and shall be signed by the Chairperson.

(10) The minutes shall be recorded in a minute book which shall be kept as a permanent record.

(11) A copy of the minutes shall be endorsed to the Central Government for the information of the Central Monitoring Committee.

[F. No. 19014/55/2013-SCD-IV]
MAULISHREE PANDEY, Director

Annexure I
(See rule 7)

First Aid Facilities :

A. At every work place there shall be provided and maintained, so as to be easily accessible during working hours, not less than one first-aid box for 150 employees.

(a) The first-aid box shall be distinctly marked with a red cross on white back ground and shall contain the following equipments, namely:—

(b) For work places in which the number of employees employed does not exceed 50, each first-aid box shall contain the following equipments :—

1. *6 small sterilised dressings.*
2. *3 medium size sterilised dressings*
3. *3 large size sterilised dressings*
4. *3 large sterilised burn dressings*
5. *1 (30 ml.) bottle containing a two per cant alcoholic solution iodine*
6. *(30 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label*
7. *1 snakebite lancet*
8. *1 (30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals*
9. *1 pair scissors*
10. *1 copy of the first-aid leaflet issued by the Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Government of India*
11. *1 bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin*
12. *Ointment for burns*
13. *A bottle of suitable surgical antiseptic solution*

B. For Work places in which the number of employees exceeds 50, each first-aid box shall contain the following equipments:—

1. *12 small sterilised dressings.*
2. *6 medium size sterilised dressings.*
3. *6 large size sterilised dressings.*

IndiaCode

4. 6 large size sterilised burn dressings.

5. 6 (ISgms.) packets sterilised cotton wool.

6. 1 (60 ml.) bottle containing a two percent alcoholic solution iodine.

7. 1 (60 ml.) bottle containing salvolatile having the dose and mode of administration indicated on the label.

8. 1 roll of adhesive plaster.

9. 1 snake bite lancet.

10. 1(30 gms.) bottle of potassium permanganate crystals.

11. 1 pair scissors.

12. 1 copy of the first-aid leaflet Issued by the Director General Factory Advice Service and Labour Institutes Government India.

13. A bottle containing 100 tablets (each of 5 gms.) of aspirin.

14. Ointment for burns.

15. A bottle of suitable surgical antiseptic solution.

(a) Adequate arrangements shall be made for immediate recoupment of the equipment, when necessary.

(b) The first-aid box shall be kept in charge of a responsible person who shall always be readily available during the working hours of the work place.

(c) A person in charge of the First-aid box shall be a person trained in first-aid treatment, in the work places where the number of employees employed is 150 or more.

(d) In work places where the number of employees employed is 500 or more and hospital facilities are not available within easy distance from the work place, first-aid posts shall be established and run by a trained compounder and he shall be on duty and shall be available at all hours when the workers are at work.

(e) Where work places are situated in places which are not towns or cities, a suitable motor transport shall be kept readily available to carry injured person or person suddenly taken ill to the nearest hospital.

(f) The first-aid box shall not contain any other equipment or substance as mentioned in paragraphs 1 and 8.

IndiaCode

Annexure-II
{See rule 11(2)}

Self Declaration Form
Identification of the persons engaged in manual scavenging

(Office Use)

Photo of the person engaged in manual scavenging

- **Name of the State:**
- **District:**
- **Municipality:**_____ **Town** _____ **Ward :** _____
- **Panchayat** _____ **Village**_____

Family Photo of the person engaged in manual scavenging
(Picture post card size photograph 6"x4")

IndiaCode

1. **Name of the person engaged in manual scavenging:**_____
2. Name of Father / Mother / Spouse: _____
3. Age: _____
4. Sex : Male ☐ Female ☐
5. Educational Status : (Put a √ mark in the appropriate box)
 (i) a) Literate ☐ b) Not literate ☐
 (ii) If literate level of education:-
 a) Studied: Class 1-5: ☐ Class 6-10: ☐ Class 11-12 : ☐ Class above 12: ☐
6. Occupation :

(i) Carrying/disposing/cleaning of human excreta manually from insanitary latrine ☐

(ii) Cleaning untreated human excreta manually from: (a) open drain ☐

(b) Railway Track ☐ (c) Pit Latrine ☐

7. Status of Employment:-

I. Employed in:

(a) Private:-

(i) Individual Household ☐ (ii) Community/ Group of Households ☐

(iii) Contractor ☐ (iv) Institution like hospital, office etc. ☐

(v) Others (specify) _____

(b) Central Government ☐ (c) State Government ☐

(d) Municipal Corporation ☐

II. Employed on:

(a) Permanent basis ☐ (b) Temporary basis ☐

(c) Contract basis ☐ (d) Jajmani ☐

8. How long you have been in this Occupation: _____

9. Social Background:

(a) Whether SC/ST/OBCs/Others ☐

(b) Caste ☐ (c) Sub Caste ☐

(d) Religion ☐

10. (a) Have you received any benefit from the government rehabilitation schemes?

(Put a √ mark in the appropriate box)

Yes	No

b) If yes, name of the scheme (Put a √ mark in the appropriate box):

	Name of the Schemes	Rupees
(1)	National Scheme for liberation and rehabilitation of scavengers (NSLRS)	
(2)	Self Employment Scheme for rehabilitation for manual scavengers (SRMS)	
(3)	Any other (Please specify the name of Scheme(s))	

c) If yes, whether project funded through above scheme is running:

Yes	No	If yes, monthly income (Rs.)

d) Not known

11. (a) Are you engaged in any occupation other than scavenging? : Yes ☐ No ☐

(b) If yes, specify: _____

12. Any other skills you possess:

i) Construction ☐ ii) Carpentry ☐

iii) Driving ☐ iv) Cooking ☐

v) Tailoring ☐ vi) Any other (specify) _____

IndiaCode

13. Alternative Occupation Proposed (Please specify) : _____

Name and Address of the person engaged in manual scavenging: ----------
---------- ----------Pincode----------

Contact Telephone/Mobile No. ----------

Signature / Thumb Impression of the person engaged in manual scavenging

name and date: ----------

Signature of Enumerator, ----------

name and date: (with code No.):----------
--

Signature of Data Entry Operator, ----------
--
name and date(with code No.): ----------

Signature of Supervisor, ----------

name and date(with code No.):: ----------

Details of Insanitary Latrine

1. Details of Individual Insanitary Latrine (IIL):

Sl. No	Name of the owner of Insanitary Latrine	Location of the		Monthly Salary/ wages of the Manual Scavenger (Rs.)	
		dry latrine	latrine from which excreta is being flushed into open drain	In cash	In food grains etc.

Total Number of the Individual Insanitary Latrines being cleaned by the person engaged in manual scavenging: []

(Note: Please give detailed description of the individual Insanitary Latrine Cleaned by the person engaged in manual scavenging. In case you need to write extra information kindly photocopy this page and attach with the survey form)

2. Details of Community Insanitary Latrine (CIL):

Sl. No	Name of the owner (Organisation/ Agency) of Community Insanitary Latrine	Location of the		Monthly Salary/ wages of the Manual Scavenger (Rs.)	
		dry latrine	latrine from which excreta is being flushed into open drain	In cash	In food grains etc.

3. Detail of Open Drains(OD)/Railway Tracks/other spaces :

S.No	Location of Open Drains/Railway tracks/other spaces in which excreta from the insanitary latrines is being flushed	Salary/wages of the manual scavengers	
		In cash (Rs.)	In kind (Rs.)

(Note: If the number of involved manual scavengers in OD is more than one then please fill up a separate form for each of the person engaged in manual scavenging)

IndiaCode

Annexure-III
{See rule 13(8)}

Office of the Inspector u/s 20 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013, _____ (Area name).

Notice

{under rule 13(8) of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013}

Ref..... date.....

To

Subject: Notice under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013(hereinafter the Act) and the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 (hereinafter the Rules):Hazardous cleaning of sewers and septic tanks

Whereas, Section 7 of the Act provides that no person, local authority or any agency shall, from such date as the State Government may notify, which shall not be later than one year from the date of commencement of this Act, engage or employ, either directly or indirectly, any person for hazardous cleaning of a sewer or a septic tank;

and whereas, the ____ (name of State) Government has notified the date of enforcement of the provisions of Section 7 of the Act as _____(date of effect);

and whereas, cleaning of sewers and septic tanks is regulated under the provisions of rules 3 to _____of the Rules;

and whereas, you have been noticed to have violated the provisions of Section 7, read with Section 2(1)(d) of the said Act and the rule ____(rule number) made thereunder, as per the following details:-

(i) Place of violation _____

(ii) Date of violation _____

(iii) Violation details :-

2. You are requested to show cause as to why action against you under Section _____ of the Act be not initiated. You are requested to submit your clarifications in writing by _____(date) or appear in person in my office on _____ at _____.

3. In case you fail to submit the necessary clarification or you or your representative fails to appear on the specified day and time, it shall be deemed that you have nothing to say in the matter and the undersigned shall be free to take action in accordance with the provisions of the Act and the Rules.

Name and Designation of the Inspector

Date_____
Place _____

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.